निबंधित

पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-34/2013......7733......./जे0,

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना दिनांक...11-12-15...

विषय:- विभिन्न अधिनियमों से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के **पत्र संख्या-5672/जे0, दिनांक**-27.07.2011, **पत्र संख्या**-8212/जे0, **दिनांक**-18.11.2013 **एवं पत्र संख्या**-5188/जे0, **दिनांक**-17.07.2014 को रद्द करते हुए कहना है कि उपर्युक्त पत्र में राज्य सरकार का यह नीतिगत निर्णय था कि विभिन्न अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक अधिनियम में अलग-अलग क्रमश: **तीन-तीन** एवं **पाँच-पाँच** सुयोग्य तथा उपयुक्त अधिवक्ताओं का उनके बायोडाटा के साथ नामों की अनुशंसा सूची भेजने में कम से कम एक नाम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं महिला अधिवक्ता का निश्चित रूप से समाहित करने का निदेश था।

2. उपर्युक्त निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने अब यह नीतिगत निर्णय लिया है कि विभिन्न अधिनियमों यथा:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम (अपराधिक अधिनियम नियंत्रण सहित), खाद्य समिश्रण, माप-तौल अधिनियम, श्रम अधिनियम, पर्यावरण एवं वन अधिनियम, खान एवं भूतत्व अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम, खाद्य, सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित वादों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक अधिनियम में **पाँच-पाँच उपयुक्त अधिवक्ताओं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला का नाम समाहित करते हुए विधि विभागीय बेवसाईट-www.law.bih.ni.in पर उपलब्ध, विधि विभागीय पत्र संख्या-2059/जे0, दिनांक-19.03.2014 द्वारा विहित बायोडाटा प्रपत्र सहित अनुशंसा सूची भेजने की कृपा की जाय।** उपर्युक्त वर्णित कोटि में किसी उपयुक्त अधिवक्ता उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख अनुशंसा-सूची में किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/- 11/12/15
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

क्0५030

E:\ARCHANA KUMARI\UJJAWAL SIR\CAS.doc

ज्ञापांक 7733 /जे0, पटना, दिनांक 11-12-15

प्रतिलिपि:- सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि अनुशंसा-सूची में उनके द्वारा भेजे गये परामर्श की एक प्रति विधि विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराई जाय।

ह० 11/12/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 7733 /जे0, पटना, दिनांक 11-12-15

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर रखने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 11/12/15

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।